RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-01
January -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

प्राथमिक स्कूलों में लागू शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का अध्ययन

[1]Sadhana Kumari and [2]Dr.Suman Sharma

[1]Research Scholar, OPJS University, Churu, Rajasthan
[2]Associate Professor, OPJS University, Churu, Rajasthan

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 20 January 2019

Keywords
प्राथमिक स्कूल, शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता, सर्वशिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

ABSTRACT

इस अध्ययन से यह ध्यान केंद्रित किया गया था कि प्राथमिक स्कूलों ने सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के बाद न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का विकास किया था।सर्वशिक्षा अभियान, असम मौजूदा प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और पर्यावरण के उत्थान के लिए प्रयासरत था और उसने राज्य के सभी प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिये बस्तियों में भी नए स्कूल स्थापित किये गये। इसने प्राथमिक स्कूलों के बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने का भी प्रयास किया। शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक नवाचार शिक्षा के तहत, इसने सभी बच्चों के लिए शिक्षा की गारंटी दी।2001 में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम इस दिशा में एक नवीनतम पहल है। यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की एक समयबद्ध योजना है। जो केन्द्र, राज्य और स्थानीय निकायों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। जिसमें उपयोगी एवं सार्थक प्रारंभिक शिक्षा के साथ समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय तथा लैगिंक असमानता को समाप्त करना तथा विद्यालय में बच्चों के सार्वभौमिक ठहराव को सुनिश्चित करना है। इस योजना के केन्द्र में मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है। सभी को शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए अनेक सुविधाएं मुहैया करायी जा रही है।

प्रस्तावना

शिक्षा हमारे समाज का एक गतिशील पहलू है। शिक्षा समाज पर औरसमाज शिक्षा पर अपना–अपना प्रभाव डालते है। शिक्षा के द्वारा ही समाजअपनी पीढ़ी के उच्च आदर्शों, अभीष्ट आशाओं, सनातन मूल्यों, सतत विश्वासोंएवं प्राचीन परम्पराओं से युक्त अपनी सांस्कृतिक धरोहर को हस्तान्तरित करताहै। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम माना गया है और इसीधारणा को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसकीउपादेयता पर जोर दिया जाता है।

शिक्षा में सुधार हेतु केन्द्र और राज्य स्तर पर समितियों और आयोगों कागठन हुआ वर्ष 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 1991 में संशोधितकर शिक्षा के प्रचार–प्रसार में तेजी लाने के प्रयास किए गये। पुनः 1986 मेंघोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1992 में समीक्षा की गयी और 14 वर्ष तक कीआयु के बच्चों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। वर्ष 1988 मेंराष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के साथ 8 सितम्बर को अन्तर्राष्ट्रीयसाक्षरता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। साक्षरता में और तेजीलाने के लिए 2001में प्रारम्भ 'सर्वशिक्षा अभियान' के तहत वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की योजना को कार्यरूप देने हेतु संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया। यह अभियान भारत में आजादी के बाद का सबसे बड़ा शैक्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य न केवल बच्चों को प्रवेश देना बल्कि प्रवेश के बाद उन बच्चों को विद्यालय में आठ वर्षों तक अनिवार्य रूप से बनाएं रखना भी है।शिक्षा की आवश्यकता एवं सम्पूर्णसाक्षरता लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा केविकेन्द्रीकरण पर बल दिया ताकि स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारियों एवं दायित्वोंकी भागीदारी का निर्धारण हो सके। इसी कारण सरकार ने संविधान के 73वेंएवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज एवं नगर पालिका व्यवस्था के अन्तर्गतशिक्षा के प्रबन्धन का भी विकेन्द्रीकरण किया। 24 अप्रैल 1993 को अधिनियमलागू कर सभी राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को एक वर्ष के भीतर कानूनीसंशोधन कर लागू करने के आदेश दिये गये। फलतः 24 अप्रैल 1994 को सभी12राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा विकेन्द्रीकृत प्रणाली लागू कर दिया गया।यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 12 अप्रैल 1999को ग्राम पंचायतों को शिक्षा से सम्बन्धित व्यापक अधिकार दिये। शिक्षा अधिकारअधिनियम–2009 में प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन कियाजाना अनिवार्य किया गया है। जिनका योगदान विद्यालय के संचालन, विकास,बच्चों के उपस्थिति, नामांकन में होगा।

शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो जाने के उपरान्त देश के 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुलभता उन्हें एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त हो गयी। इस अधिनियम के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को पूर्णतः मुक्त एवं अनिवार्य कर दिया गया है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

अब यह केन्द्र और राज्यों के लिए कानूनी बाध्यता है कि मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा सभी को सुलभ हो सके। इसके अन्तर्गत–

- 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए नजदीकी विद्यालय में मुक्त आधारभूत शिक्षा अनिवार्य है।
- इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से रोका जा सकेगा।
- यदि 6 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलवाया जायेगा।
- सभी केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों और गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को कम से कम 25 प्रतिशत विद्यार्थी वंचित और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों से लेना अनिवार्य है।
- विकलांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष रखी गयी है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए सम्बन्धित सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को यदि आवश्यक हुआ तो विद्यालय भी खोलना होगा। अधिनियम के तहत यदि किसी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो वहाँ पर तीन वर्षों की तय अवधि में विद्यालय का निर्माण करवाया जाना आवश्यक है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों को अमल में लाने की जिम्मेदारी केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों की है। तथा इसके लिए खर्च होने वाला धन भीए इनकी समवर्ती जिम्मेदारी रहेगी। इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चें, बाल मजदूर, प्रवासी बच्चें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा लिंग कारकों की वजह से वंचित बच्चों को मिलेगा। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ ही यह उम्मीद भी है कि इससे विद्यालय जाने वाले बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से दी जा सकेगी।

सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुख कार्य

इस योजना के प्रमुख कार्य निम्नवत है –

1. उन स्थानों पर नए विद्यालयों की स्थापना करना, जहां विद्यालयी सुविधानही है। साथ ही विद्यमान विद्यालयों की आधारभूत संरचना (शौचालय,पेयजल, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, बिजली आदि) को मजबूत बनाना।
2. जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहाँ अध्यापक उपलब्ध कराना,शिक्षण अधिगम सामग्रियों हेतु अनुदान देना तथा कम्प्यूटर शिक्षा कीव्यवस्था करना।
3. बालिका शिक्षा तथा कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना।बच्चों की विभिन्न प्रकार की सहायता जैसे– पाठ्यपुस्तकें, स्कूल ड्रेस,बैग, छात्रवृत्ति (वर्तमान में बंद) आदि उपलब्ध कराना।
4. सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गये प्रयास

1. अनौपचारिक शिक्षा का मध्य प्रदेश मॉडल (1978)

अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार के बालकों को विद्यालय मेंलाना था, जो कामकाजी और वंचित थे तथा शिक्षा से लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे। विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक कारण की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे थे। सन् 1978 में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयोग के तौर पर 6 केन्द्रों पर इस कार्यक्रम की शुरूआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को विद्यालय लाना जो विद्यालय से बाहर है। इन बच्चों के लिए विशेष रूप से अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत धन कमाते हुए पढ़ने की अवधारणा बनायी गयी। इसके लिए 6 केन्द्रों पर टाट–पट्टी तथा चाक के उत्पादन का कार्य शुरू किया गया। इन 6 केन्द्रों के बच्चों ने दो महीनों में 33,471 रूपये की कमाई की तथा प्रत्येक बच्चे को 3777.15 रूपये पारिश्रमिक के रूप में दिया गया। सन् 1981 में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया तथा 1983 में इस कार्यक्रम में लड़कियों को भी शामिल किया गया।

2. आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (1987–88)

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का प्रथम मानक शत–प्रतिशत नामांकन है, किन्तु 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूरे देश में विद्यालयों की उपलब्धता आवश्यकता से कम थी। अखिल भारतीय पाँचवें शैक्षिक सर्वेक्षण 1986 के अनुसार–

सारणी संख्या 1.1

भवन की स्थिति	प्राथमिक कक्षाएं	उच्च प्राथमिक कक्षाएं
1. खुला स्थान	29,305	2,969
2. कच्चे भवन	72,777	11,280
3. छप्पर युक्त	39,644	2,417
4. टेन्ट	2,546	314
योग	**1,44,272**	**16,980**

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करने पर यह आभास होता है कि प्रारम्भिक शिक्षा की वास्तविक स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं थी। 32,274 विद्यालय ऐसे थे जहाँ कोई भवन नहीं था। कुछ विद्यालयों के भवन कच्चे थे और कुछ में छप्पर युक्त छत थी एवं कुछ टेन्टों में चल रहे थे। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक विद्यालयों को साधन सम्पन्न बनाने हेतु 1987–88 में केन्द्र सरकार द्वारा 'आपरेशन

ब्लैक बोर्ड' योजना एक साथ पूरे देश के प्रारम्भिक विद्यालयों में प्रारम्भ की गयी। इस योजना में स ंसाधनों की उपलब्धता बनाने के लिए प्रमुख बिन्दुओं पर ध्यान दिया गया– ;

प्द्ध लड़को एवं लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय तथा एक बरामदें सहित सभी मौसम के लिए उपयुक्त कम से कम दो पर्याप्त बड़े कमरों की व्यवस्था।

(II) प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक हो, जिसमें से एक यथासंभव महिला हो। ;

(III) ब्लैक बोर्ड, नक्शों, चार्टों, खिलौनों और कार्य अनुभव के लिए उपकरणों सहित आवश्यक पठन–पाठन सामग्रियों का प्रबंध।

3. शिक्षाकर्मी परियोजना (1987)

शिक्षाकर्मी परियोजना का मुख्य उद्देश्य सुदुर सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गांवों में प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह योजना बालिका शिक्षा पर भी ध्यान देती है। इस योजना का कार्य क्षेत्र राजस्थान है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षाकर्मी के रूप में स्थानीय व्यक्ति को रखा जाता है। जिसकी शैक्षिक योग्यताएं बहुत कम निर्धारित होती है। गाँव के ही 10 वीं पास व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर शिक्षाकर्मी पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। इसके लिए स्वीडन की अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहयोग अभिकरण और भारत सरकार में समझौता हुआ था। इसकी पहली प्रावस्था 1994 तक तथा दूसरी प्रावस्था 1998 तक बढ़ायी गयी थी। प्रथम प्रावस्था में सीडा और राजस्थान सरकार ने 9:1 के अनुपात में धन लगाया जबकि दूसरी प्रावस्था में यह अनुपात 50:50 रहा। इस प्रकार गैर सरकारी संगठनों, विदेशी सहायता तथा राजस्थान सरकार के मिले–जुले प्रयास के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में कई बिन्दुओं पर एक साथ सफलता मिली। इसके द्वारा शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। विद्यालय से बाहर रहने वाले अधिकतर बच्चे विद्यालय जाने लगे, नामांकन दर में वृद्धि हुई तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला।

4. महिला सामाख्या कार्यक्रम (1989)

महिला सामाख्या कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली विशेष रूप से सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर तबके की महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए एक ठोस कार्यक्रम है। जिससे वे समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हों, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले, गाँवों की शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाएं तथा यह सब कार्य करते हुए उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करना इस परियोजना का उद्देश्य है।

5. बिहार शिक्षा योजना (1991)

यह 1991 में प्रारम्भिक स्कूलों के लिए कक्षा 1 से 5 तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बालिकाओं के लिए यह योजना राज्य के सात जिलों में प्रारम्भ हुई। इसका उद्देश्य बिहार में प्रारंभिक शिक्षा का मात्रात्मक तथा गुणात्मक सुधार करना है।

6. लोक जुम्बिश परियोजना–

यह परियोजना राजस्थान में स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ;ैप्व।द्ध की सहायता से शुरू किया गया। इसका लक्ष्य जनसक्रियता और जनसहभागिता के द्वारा सबको शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस परियोजना का पहला चरण जून 1992 से 1994 के दौरान कार्यान्वित हुआ। इसमें औपचारिक तथा अनौपचारिक उपागमों के माध्यम से स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इस परियोजना के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों जैसे– प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता, अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा, जीवन कौशलों का विकास, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को संसाधन युक्त बनाना तथा पिछड़े एवंवंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा में भागीदार बनाना। इसको कही अंशतः तो कही पूर्णतः प्राप्त किया गया तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण में इस परियोजना ने भरपूर सहयोग किया।

7. आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा योजना–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अध्यापकों को प्रशिक्षित करना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा एक अरब रूपये खर्च किये गये। जिसमें 80 हजार अध्यापकों को 23 जिलो में, 3 हजार ट्रेनिंग सेन्टरों पर प्रशिक्षित किया गया। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से कक्षा में सुधार करना।

8. बेसिक शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश (1993)

उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना भारत सरकार तथा विश्व बैंक के समझौते से 1993 में हुआ। इस परियोजना में तीन लक्ष्य निर्धारित किये गये–

(I) संस्थागत क्षमता में वृद्धि।

(II) गुणवत्ता में सुधार।

(III) बेसिक शिक्षा की उपलब्धता में सुधार।

प्रथम लक्ष्य के अन्तर्गत शत–प्रतिशत नामांकन तथा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना प्रमुख आयाम है। द्वितीय लक्ष्य के अन्तर्गत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करना, नवाचार की संकल्पनाओं से परिचित करना, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन प्रमुख आयाम है। तृतीय लक्ष्य के अन्तर्गत असेवित क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, समाज के विशिष्ट वर्ग के बच्चों लिए शिक्षा की व्यवस्था करना प्रमुख आयाम है। इसमें प्रारम्भ में 12 जिलों को लिया गया था। इस

RRIJM 2015, All Rights Reserved

परियोजना का समय 7 वर्ष था। पूरे खर्च में 87: विश्व बैंक तथा 13: उत्तर प्रदेश सरकार ने वहन किया।

9. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम– (1994)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु यह योजना प्रारम्भ की गयी। इसके अन्तर्गत जिलों का चयन उस मानदण्ड के आधार पर किया जाता है जहाँ महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। सर्वप्रथम यह कार्यक्रम संसाधनों की कमी एवं लड़कियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की शैक्षिक समस्याओं से जूझ रहे देश के सात प्रदेशों के चुनिन्दा 42 जिलों में सन् 1994 में प्रारम्भ किया गया तथा धीरे–धीरे देश के सभी जिलों में इसको विस्तारित कर दिया गया। डी0पी0ई0पी0 के प्रमुख कार्य है–

(I) नए प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, कक्षा–कक्षों का निर्माण, वैकल्पिक तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना।

(II) नएं अध्यापकों की नियुक्ति करना तथा शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(III) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में डायट को मजबूत करना, ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय संसाधन केन्द्र की स्थापना करना।

(IV) बालिका शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति व विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु नवाचार को अपनाने पर जोर देना।

10. आनन्ददायी अधिगम– (1994–95)

उत्तर प्रदेश सरकार और यूनीसेफ के सहयोग स` शिक्षण की अधिक बाल केन्द्रित विधियॉ, कक्षा कक्ष की सजावट, शिक्षकों को प्रोत्साहित एवं सहयोग करने हेतु प्राथमिक शिक्षक संघ ने आनन्ददायी शिक्षण की पहल की थी। 1994–95 में यह 6 जनपदों के 7500 प्राथमिक विद्यालयों में शुरू की गई थी। इसमें शुरू में प्रत्येक जिले के 10 अध्यापक राज्य स्तर पर प्रशिक्षण पाते ह`। जो बाद में 5 से 10 अध्यापकों को विकास खंड में प्रशिक्षण देते है।

11. मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम–

इस योजना का नाम 'राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषणिक समर्थन योजना' है। यह योजना भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को देश के 2408 ब्लाकों में प्रारंभ किया गया। वर्ष 1997–98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लाकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केन्द्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। अक्टूबर 2007 तक इसका विस्तार देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लाकों में कक्षा अप से अपप में पढ़ने वाले बच्चों तक विस्तार कर दिया गया। वर्ष 2008–09 से यह कार्यक्रम देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए कर दिया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को भी प्रारंभिक स्तर पर मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत अप्रैल 2010 से शामिल किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक तत्त्व उपलब्ध कराने के साथ उनके नामांकन तथा नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 100 ग्राम प्रतिदिन की दर से माह में 3 किलो ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत समस्त राजकीय सरकार सहायित विद्यालयों, इंटर कॉलेजों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपसंहार

प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण ढांचे का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह इस स्तर पर है कि बच्चा एक औपचारिक शैक्षणिक संस्थान में जाना शुरू करता है। वह जो शिक्षा प्राप्त करता है वह उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास की नींव प्रदान करता है। प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है।सर्व शिक्षा अभियान स्कूल प्रणाली के देश के स्वामित्व द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का एक प्रयास है। यह पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा की मांग का जवाब है। सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम एक मिशन मोड में सामुदायिक स्वामित्व वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों को मानवीय क्षमताओं में सुधार करने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। मानव जीवन जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, उसके दो पहलू हैं जैविक और समाजशास्त्रीय या सांस्कृतिक। जबकि पूर्व को बनाए रखा जाता है, भोजन और प्रजनन द्वारा प्रसारित किया जाता है, जबकि बाद को शिक्षा द्वारा संरक्षित और प्रसारित किया जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता एस0पी0 और गुप्ता अलका (2015)– भारतीय शिक्षा का ताना बाना, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
2. शर्मा एस0 डी0 (2012)– हॉरिजन्स ऑफ इण्डियन एजुकेशन, स्टर्लिन पब्लिशर्स प्रा0 लि0 नई दिल्ली।

3. गोविन्दा आर0 (2013)– आक्सफोर्ड इण्डिया एजुकेशन रिपोर्ट : ए प्रोफाइल ऑफ बेसिक एजुकेशन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
4. राय पी0 एन0 (2011)– अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
5. राज्य शैक्षिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान (2012) ''अभिनव'' शैक्षिक प्रबन्धन पत्रिका, सीमैट, एलनगंज, इलाहाबाद।
6. बाल्मिकी महन्तो (2015)–प्रारंभिक शिक्षा की चुनौतियाँ, आधार प्रकाशन, पंचकुला, हरियाणा।
7. न्यूमैन, डब्ल्यू एल0 (2010)– सोशल रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वालिटेटिव एण्ड क्वान्टिटेटिव एप्रोच, टोरोंटो सिडनी, एलिन एण्ड बेकन।
8. पाण्डेय रामसकल और मिश्र करूणा (2011)– भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
9. देसाई, डी0एस0 (2011)– कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इण्डिया, द इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बाम्बे।
10. मेहता अरूण सी0 (2014)– एनालिटिकल रिपोर्ट कार्ड्स, एलीमेन्ट्री एजुकेशन इन इण्डिया, नई दिल्ली, नीपा।
11. सिंह वीरेन्द्र एण्ड कुमार मनीष (2016)– चेजिंग प्रोफाइल ऑफ रूरल एलीमेन्ट्री एजुकेशन इन बेस्टर्न स्टेट ऑफ इण्डिया नेशनल जनरल ऑफ एजुकेशन, वाल्यूम ।

RRIJM 2015, All Rights Reserved